(S.D.O.) बालोतरा

16.7.2025 दोनों पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित।
चूंकि मूलवाद का निस्तारण हो गया है
ऐसी स्थिति में इस्तगास प्रकरण आगे
चलने योग्य नहीं होने के कारण
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली केवल क्रमांक बेमर दाखिल
दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा